पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुड़गांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

सूचना का अधिकार

पावरग्रिड
POWERGRID

CIN: L40101DL1989GOI038121

PGCIL/A/E/21/00025 Dated: July 26, 2021

Shri Ravindra Kumar Kashyap,
L 3 487 Vineet Khand, Gomtinagar, Lucknow, Pin-226010,
Uttar Pradesh

Sub.: Your Appeal under RTI Act, 2005 (appeal letter dated 18th June, 2021) for RTI request (PGCIL/R/T/21/00040) dated 16th May, 2021.

Dear Sir,

This has reference to the Order No. C/CP/AA/RTI Act, 2005 dated 17th July, 2021 from the Appellate Authority on the subject matter. As directed by the Appellate Authority, the desired information is attached herewith at **Annexure-I.**

भवदीप,

26/07/21

(जसबीर सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Annexure-I

As per compliance of Appellate Authority Order No. C/CP/AA/RTI Act, 2005 dated 17th July, 2021.The requested information is given as below:

<table>
<tr><td>RTI</td><td>Information is sought with respect to point no. 6 and 7 of enclosed RTI Application. The text is as follows:

6) RPwD ACT 2016 के आर्टिकल 34 में जिस प्रारूप में केटेगरी C के तहत लोकोमोटर डिसेबिलिटी को चिन्हित करते हुए परिभाषित किया गया है, तथा भारत सरकार के कई मंत्रालयों / विभागों द्वारा ग्रुप A उन्हें जस का तस अंगीकृत करते हुए, पोस्ट चिन्हित की गई है) कृपया उपरोक्त बिंदु 1 एवम 2 का संज्ञान लें (व माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त वर्णित आदेश का अनुपालन किया गया है, परंतु इसके विपरीत भारत सरकार के कई अन्य मंत्रालयों / विभागों के द्वारा)ग्रुप B कृपया बिंदु 3 का संज्ञान लें (द्वारा एक्ट में किये गए प्रावधानों / दिशानिर्देशों की अनदेखी व उनमें तोड़मरोड़ करते हुए भेदभावपूर्ण ढंग से) कृपया एक्ट के सेक्शन 20 डिस्क्रिमिनेशन का संज्ञान लें(Locomotor Disability को लैंगिक आधार (OL,BL,BLA,OLA,OA इत्यादि (पर उप विभाजित करते हुए पदों को चिन्हित किया गया है , जिसमें लोकोमोटर बोथ लेग अफेक्टेड सहित LD का एक बड़ा वर्ग रोज़गार के अवसरो से Deprived हो रहा है।

कृपया सूचित करें की उपरोक्त बिंदु 1,2 में बताये गए मंत्रालयों/ विभागों (Grp A) (जिन्होंने RPwD एक्ट की धारा 34 को जस का तस अंगीकृत करते हुए Post Identify किया है अथवा बिंदु 3 में बताये गए मंत्रालयों / विभागों (Grp B) (जिनके द्वारा लैंगिक आधार पर भेदभाव करते हुए पद चिन्हित किये गए है (में से किसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का RPwD एक्ट 2016 के सेक्शन 33 (ii) तथा 34 के तहत विधिवत अनुपालन किया गया है ।

7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री अनुज गोयल की जनहित याचिका के संदर्भ में दिए गए प्रश्नगत उपरोक्त वर्णित निर्णय का अनुपालन (Grp A) के तहत आने वाले मंत्रालयों / विभागों द्वारा RPwD एक्ट 2016 के तहत किया गया है अथवा ग्रुप B के तहत आने वाले मंत्रालयों / विभागों द्वारा कृपया RTI आवेदन उपरोक्त बिंदुओं का संदर्भ लेते हुए सूचित करें ।</td></tr>
<tr><td>Appeal</td><td>सादर निवेदन है कि मुझे आपके विभाग द्वारा PGCIL/R/T/21/00040 के संदर्भ में गोलमटोल, गुमराह करने वाली व भ्रामक सूचना प्राप्त हुई है, जो कि आपके विभाग में DEPwD(दिव्यांगजन) के द्वारा RTI ACT 2005 की धारा 6(3) के तहत ट्रांसफर की गई है । इस सम्बंध में निवेदन है कि:

1-आपके मंत्रालय/विभाग में लोकोमोटर डिसेबिलिटी को OL,BL,OAL,BAL,BA इत्यादि में जिस प्रकार उप विभाजित करके पदों को चिन्हित किया गया है,वह एक्ट की धारा 34(C) के विपरीत है, जैसा कि एक्ट की धारा 34(C) में स्पष्ट है कि (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy,
आपके विभाग द्वारा अंगों का कमी व बनावट के आधार पर भेदभाव करते हुए बोथ लेग/बोथ आर्म अफ्फेक्टेड विक्लांगजन को इंजीनियरिंग सहित तमाम पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है । यह RPwD एक्ट 2016 की धारा 20,जो कि विकलांगता के आधार रोजगार में भेदभाव को निषेध करती है, के खिलाफ है । कृपया संज्ञान लें कि एक्ट के किसी भी धारा में लोकोमोटर डिसएबल को OL,BL,OAL,BAL,BA,OA इत्यादि के आधार पर उप विभाजित करके भेदभाव नहीं किया गया है । प्रश्नगत आर0 टी0 आई0 आवेदन के बिंदु संख्या 1 से लेकर 6 तक का संज्ञान लें,जो कि इसी सम्बंध में है तथा आपके विभाग द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए सूचना देने से किनारा किया जा रहा है ।

2- आर0 टी0 आई0 आवेदन के किसी भी विंदु में आपके विभाग द्वारा दिव्यांगजन हेतु चिन्हित पदों की सूची नहीं मांगी गई है, जैसा कि CPIO द्वारा लिंक के माध्यम से दिया गया है । आपके विभाग द्वारा दी गई जानकारी मांगी गई सूचना से परे व गुमराह करने वाली है ।</td></tr>
</table>

	3- RPwD एक्ट 2016 की धारा 33 (ii) में कहा गया है कि, constitute an expert committee with representation of persons with benchmark disabilities for identification of such posts; कृपया संज्ञान लें कि एक्ट की धारा 33 (ii) में पोस्ट चिन्हित करने वाली एक्सपर्ट कमेटी में benchmark disability के दिव्यांगजन के प्रतिनिधित्व का निर्देश दिया है, परंतु आपके विभाग द्वारा इसकी अनदेखी की गई है । आपके द्वारा गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी में लोकोमोटर डिसएबल के प्रत्येक दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व नहीं है । जैसा कि आपके विभाग तथा भारत सरकार के अधीन अन्य कई संस्थानों द्वारा पदों को चिन्हित करते हुए लोकोमोटर डिसएबल को OL,BL,OAL,BAL,BA,OA इत्यादि में उप विभाजित करके किया गया है । 4- RPwD एक्ट 2016 के आर्टीकल 34 (C) में लोकोमोटर डिसएबल की definition में लोकोमोटर disable को OL,BL,OAL,BLA,BA,OA इत्यादि में उप विभाजित करके नहीं किया गया है, तदनुसार DEPwD(दिव्यांगजन) MOSJE नई दिल्ली के द्वारा दिव्यांगजनों हेतु पदों को चिन्हित करने वाली एक्सपर्ट कमेटी में लोकोमोटर डिसएबल/और्थोपेडिक हैंडीकैप्ड कैटेगरी का केवल एक ही प्रतिनिधि रखा ही गया है, परंतु लोकोमोटर डिसएबल हेतु जौब identified करते समय इसे OL,BL,OAL,BLA,BA,OA इत्यादि की कई उपश्रेणियों में बांट दिया मनमर्जी तरीके से बांट कर एक्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है । यही प्रक्रिया जस की तस अन्य गवर्नमेंट एस्टेबिल्श्मेंट्स द्वारा अपनाई है तथा लैंगिक/शारीरिक कमी के आधार पर विकलांग जनों के मध्य रोजगार देने में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए BL तथा BA उपश्रेणी के लोकोमोटर दिव्यांगजनों को वंचित किया गया है, जो कि एक्ट के आर्टीकल 20 के खिलाफ है । आपके विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से एक्ट की धारा 33 (ii) 34 (C) तथा 20 का violation करते हुए पदों को चिन्हित किया गया है तथा भ्रामक रूप से गोलमटोल सूचनाएं दी जा रही हैं । 5- RPwD एक्ट 2016 के क्रम में जारी किए गए भारत के गजट का Point no.9 में कार्यात्मक आवश्यक्ता /physical requirement यानि कि S,ST,W,BN,C तथा valid disability certificate की बात लिखी है न कि OL,BL,OA,BA इत्यादि में उपविभाजित करने की, कृपया पदों को चिन्हित करते समय संज्ञान में लेने की कृपा करें । 6- DEPWD (दिव्यांगजन) द्वारा आपके कार्यालय में ट्रांसफर की गई प्रश्नगत आर0टी0आई0 के आवेदन पत्र में ग्रुप A के तहत उन विभागों / मंत्रालयों को श्रेणीबध्द किया गया है, जिन मंत्रालयों/ विभागों द्वारा एक्ट के आर्टिकल 33 तथा 34 का अक्षरश: पालन करते हुए दिव्यांगजनों हेतु पदों को चिन्हित किया गया है । 7- DEPWD(दिव्यांगजन) द्वारा आपके कार्यालय में ट्रांसफर की गई प्रश्नगत आर0टी0आई0 के आवेदन पत्र में ग्रुप B के तहत उन विभागों/मंत्रालयों को श्रेणीबध्द किया गया है, जिन मंत्रालयों/ विभागों द्वारा एक्ट के आर्टिकल 33 तथा 34 का अक्षरश: पालन करते हुए दिव्यांगजनों हेतु पदों को चिन्हित किया गया है तथा लोकोमोटर डिसेबिलिटी को OL,BL,OA,BA इत्यादि में उपविभाजित करते हुए भेदभावपूर्ण विधि से पदों को चिन्हित किया गया है । कृपया स्पष्ट हों कि प्रश्नगत आर0टी0आई0 आवेदन के बिंदु संख्या 6 व 7 में बताए गए ग्रुप A तथा ग्रुप B को ग्रुप A तथा B कैटेगरी की पोस्ट न समझ जाए । ऐसा प्रतीत होता है कि आपके विभाग द्वारा जानबूझकर सूचनाएं इस आड़ में छुपाई जा रही हैं व गुमराह किया जा रहा है कि, इन्हें धारा 6 (3) के तहत अग्रसारित नहीं किया जा सकता है । अत: आपसे विनम्र अपील है कि कृपया वांक्षित सूचनाओं के प्रत्येक विंदु का संज्ञान लेते हुए सूचनाएं उप्लब्ध करवाने की कृपा करें, चूंकि वह क्रमवध्द हैं व एक दूसरे से जुडी हैं ।
Reply	It is informed that Power Grid Corporation of India Ltd. has identified the list of posts in line with Government of India's notification dated 29.07.2013 and provisions contained under RPWD Act 2016. The same is available on its website.

	It is relevant to mention that GoI notified RPWD Act 2016 wherein percentage of reservation was revised from 3 to 4 % and benchmarked disabilities were added along with other provisions and subsequently compliance was to be made. Accordingly, POWERGRID identified the list of posts which includes posts notified by GoI in line with Order Dated 29.07.2013. However, it is to mention that POWERGRID is under process of reviewing the list of posts as per recently notified posts by Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India vide gazette notification dated 07.01.2021 and the same shall be implemented shortly.

-----x------

RB Singh